न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 43/2017/एफएसएस
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सीकर — प्रार्थी

बनाम

1 देवराज सैनी पुत्र शिशुपाल सैनी (विक्रेता)
निवासी निमजोड़ पो. नोलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
हाल— गायत्री मन्दिर के पास सीकर डेयरी मिल्क फ्रेश सप्लाई
वाहन आर.जे. 18 जी.बी. 1482 पिकअप (बन्द बॉडी गाड़ी)
मैसर्स—डेयरी मिल्क फ्रेश निमजोड़ पो. नोलड़ी तहसील नवलगढ़ झुन्झुनू
2 भीमराज सैनी पुत्र शिशुपाल सैनी (मालिक)
मैसर्स— डेयरी मिल्क फ्रेश निमजोड़ पो. नोलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
अप्रार्थीगण

एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 अन्तर्गत धारा 26 उप धारा 2(II)

वकील अप्रार्थी श्री करतारसिंह

निर्णय — दिनांकः—21.11.2019

संक्षेप में तथ्य आवेदन इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूलसिंह बाजिया द्वारा दिनांक 30.05.2017 को समय 07:15 ए.एम. शहर सीकर में निरीक्षण के दौरान हाल—गायत्री मन्दिर के पास सीकर पहुंचने पर वंहा देवराज सैनी पुत्र शिशुपाल सैनी एक पिकअप (बन्द बॉडी गाड़ी) नम्बर आर.जे. 18 जी.बी. 1482 पर दुध की पैक थैली का विक्रय करता हुआ मिला। देवराज सैनी को पूछताछ के दौरान वर्ष 2017 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञापत्र के बारे में पुछा तो विक्रेता देवराज ने वर्ष 2017 का खाद्य लाईसेंस नहीं होना बताया। देवराज सैनी द्वारा विक्रय किये जा रहे पैक पाश्च्युरीकृत फुल क्रिम दुध (डेयरी क्रिम फ्रेश) का होना बताया। उक्त पैक पाश्च्युरीकृत फुल क्रिम दुध (डेयरी क्रिम फ्रेश) में मिलावट का शक होने पर उसमें से वास्ते नमूना जांच हेतु दूध लिया गया। जिस पर विक्रेता एवं उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। विक्रेता देवराज से प्राप्त दूध को विक्रेता के सामने चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतल में बराबर—बराबर 500—500 एम.एल. डाला एवं प्रत्येक बोतल में प्रिजर्वेटिव फार्मलीन की 40—40 बूंदे डालकर बोतलों को ढ़क्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द कर लेबल फार्म पर सैम्पल विवरण लिखकर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये एवं प्रत्येक लेबल फार्म पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त सेम्पल हेतु प्राप्त दूध को नमूना सील किया गया तथा फार्म नम्बर 6 के साथ दिनांक 30.05.2017 को उक्त सील बन्द नमूना दो प्रतियों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर को जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में जांच हेतु श्रीमान् खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वा0 प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीकर के पत्र कमांक एफएसएसए/17/329—30 दिनांक 21.06.2017 के साथ सलंग्न खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1278/एक्ट/2017/1345 दिनांक 14.06.2017 के द्वारा विक्रेता द्वारा विक्रय किया जा रहा पाश्च्युरीकृत फुल क्रिम दुध

Scanned by CamScanner

(डेयरी क्रिम फ्रेश) मिथ्याछाप पाया गया। अतः विक्रेता द्वारा मिथ्याछाप पाश्च्युरीकृत फुल क्रिम दुध (डेयरी क्रिम फ्रेश) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है जिस पर जुर्माना किया जाना प्रार्थनीय है।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री करतार सिंह उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से पृथक–पृथक जवाब आवेदन पेश किया। अप्रार्थी देवराज की और से प्रस्तुत जवाब आवेदन में अंकित किया गया है कि "नमूना संख्या एफ–795 की गलत जांच रिपोर्ट पर दर्ज शिकायत के आधार पर किया गया है। नमूना जिस डेयरी मैसर्स डेयरी मिल्क प्रेश गांव निमजोड़ पो.नोलड़ी के प्रोडेक्टस का नमूना लेकर जांच की गई है उस डेयरी से उत्तरदाता/प्रार्थी का कोई लेना–देना नहीं है और ना ही प्रार्थी उक्त डेयरी का संचालन करता है। उक्त डेयरी का स्वामी भीमराज सैनी है। प्रार्थी केवल पिकअप वाहन नम्बर आरजे 18 जीबी. 1482 का ड्राईवर मात्र है। उक्त डेयरी के मालिक भीमराज सैनी के द्वारा निर्मित एवं पैकींग माल को उसके निर्देशानुसार बाजार में उसके बताये अनुसार रख देता है। इस प्रकार इस सम्बंध में समुचित जवाब एवं कार्यवाही के लिये उक्त मैसर्स डेयरी फ्रेश मिल्क का स्वामी भीमराज सैनी ही समुचित जवाब हेतु सक्षम है। अतः प्रार्थी को जारी नोटिस की समस्त कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।" अप्रार्थी भीमराज सैनी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन में अंकित किया गया है कि "मैसर्स डेयरी मिल्क फ्रेश गांव निमजोड़ पो0 नोलड़ी के प्रोडेक्ट्स का नमूना लेकर जाचं की गई है उक्त जांच में मिसब्रान्डेड एवं अमानक स्तर का दूध होने का कथन किया गया है वह सही नहीं है। प्रार्थी 2016 से Fssai Licence No. 12215031000129 से लाईसेन्स हॉल्डर होकर गुणवता पूर्ण दूध की पेकींग करने का कारोबार कर रहा है। जांच अधिकारी द्वारा नमूना हेतु प्राप्त दूध गलत रूप से प्राप्त किया गया है। जांच अधिकारी के द्वारा प्रार्थी के सील पैकिट माल को लेबोरेट्री में जांच हेतु नहीं भेजा गया, बल्कि उक्त पैकिंग को फाड़कर प्लास्टिक की बोतल में डालकर जांच हेतु भेजा गया। उक्त प्लास्टिक की बोतल में नियमानुसार दूध नहीं डाला जा सकता है क्योंकि उक्त बोतल की साफ–सफाई कैसी थी एवं बोतल जीवणु रहित थी अथवा नहीं। इस सम्बंध में जांच रिपोर्ट में कोई तथ्य अंकित नहीं है। प्रार्थी के द्वारा टोन्ट मिल्क एवं डबल टोन्ट मिल्क ही पैकिंग किया जाता है। उक्त पैकिंग अधिकतम तीन दिवस तक ही काम में लिया जा सकता है। तीन दिवस पश्चात् उक्त दूध में स्वयंमेव ही समस्त गुणवता में एवं मानक में परिवर्तन आ जाता है। जांच अधिकारी द्वारा सैम्पल के तौर पर लिये गये दूध की जांच 10 दिवस पश्चात् की गई है, 10 दिवस पश्चात् जांच करने पर दूध की गुणवता एवं वसा/फैट की मात्रा में निश्चित रूप कमी अथवा वृद्वि हो जाती है। इसलिये उक्त जांच रिपोर्ट अत्यन्त अविश्वसनीय है और इस अविश्वसनीय एवं गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर मिस ब्राण्ड अथवा अमानक नमूने के लिये प्रार्थी को दुष्परिणामित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी के विरूद्व जारी नोटिस की समस्त कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।"

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के मुताबिक जांच अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के द्वारा पिकअप वाहन नम्बर आर.जे. 18 जी.बी. 1482 में गायत्री मन्दिर के पास सीकर पर विक्रय किये जा रहे पाश्च्युरीकृत फुल क्रिम दुध (डेयरी क्रिम फ्रेश) का नमूना लिया गया। उक्त नमूना हेतु प्राप्त दूध को चार प्लास्टिक बोतल में डालकर जांच हेतु राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच हेतु प्राप्त दूध को प्लास्टिक की बोतल में डालकर ढ़क्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द कर लेबल फार्म पर सैम्पल विवरण लिखकर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये जाकर एवं प्रत्येक लेबल फार्म पर स्वयं के हस्ताक्षर एवं अप्रार्थी/विक्रेता के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

करवाये जाकर विधिवत रूप से जांच हेतु राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भिजवाया गया है। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त नमूना मिथ्याछाप पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीकर द्वारा अप्रार्थी देवराज सैनी को जरिये रजिस्टर्ड पत्र कमांक 329–30 दिनांक 21.06.2017 के द्वारा उक्त मिथ्याछाप जांच रिपोर्ट की प्रति सलंग्न भिजवाई जाकर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं होने पर 30 दिवस के भीतर उपस्थित होकर रेफरल लेब से पुनः जांच हेतु आवेदन पेश करने बाबत सूचित किया गया। अप्रार्थी की और से पुनः जांच के सम्बंध में किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीकर द्वारा अप्रार्थी देवराज सैनी को उक्त फर्म के मालिक/पार्टनर/नोमिनी एवं फर्म के वर्ष 2017 के खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन सम्बंधी सूचना चाही गई। अप्रार्थी भीमराज सैनी ने चाही गई सूचना के सम्बंध में आवेदन पेश किया और अंकित किया कि "मेरी फर्म डेयरी मिल्क केश वार्ड नम्बर 17 पोस्ट नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू है, जिसका वर्ष 2017 का खाद्य लाईसेन्स बना हुआ है। उक्त फर्म का मे ही एकमात्र मालिक हूं, कोई पार्टनर नहीं है। मेरे द्वारा विकीत दूध की जांच में जो कमी पाई गई थी, जिसकी कमी पूर्ति मेरे द्वारा कर दी गई है।" अप्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बंध में प्रस्तुत जवाब आवेदन में विकीत दूध में पाई गई कमी को स्वयं अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया जा रहा है एवं विकीत दूध के सम्बंध में राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं होने पर पुनः जांच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीकर द्वारा भिजवाये गये पत्र दिनांक 21.06.2017 के सम्बंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया। इस प्रकार पुनः जांच के सम्बंध में अप्रार्थी की और से किसी प्रकार का आवेदन पेश नहीं होने से यह अपने आप में यह सिद्व साबित होता है कि अप्रार्थी उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है एवं अप्रार्थी की और से खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत जवाब आवेदन में विकीत दूध में पाई गई कमी को स्वयं के द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी देवराज सैनी पुत्र शिशुपाल सैनी (विकेता) निवासी निमजोड़ पोस्ट नोलड़ी तहसील नवलगढ़ के 20,000/– रुपये तथा अप्रार्थी भीमराज सैनी पुत्र शिशुपाल सैनी (मालिक) मैसर्स–डेयरी मिल्क फ्रेश निमजोड़ पोस्ट नोलड़ी तहसील नवलगढ़ के 20,000/–रूपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। अप्रार्थीगण को जुर्माना राशि जमा करवाने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.25 16:33:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: